

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड  
देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय- बाजपुर में बस टर्मिनल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्र संख्या-111 एच0क्यू0/X/बाजपुर बस स्टेशन निर्माण/2017, दिनांक 01.08.2017 के माध्यम से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमि0, देहरादून ने उक्त योजना हेतु आगणन की आंकलित धनराशि ₹398.54 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्य पूर्ण धनराशि ₹323.92 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ₹ 48.91 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि ₹372.83 लाख (रु0 तीन करोड़ बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, शासनादेश संख्या 119/2016/32/IX/2015, दि.19.06.2016 द्वारा ₹ 50.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) उक्त धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(viii) शासनादेश संख्या-571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2. उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 30 के अधीन लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03- उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/बस डिपो के निर्माण 35- पूंजीगत परिसमपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610, दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर 12 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)  
अपर सचिव।

पु.संख्या-263 (1)/2017/32/IX/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस-ब-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 7- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून।
- 8- बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)  
उप सचिव।